

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

Phone-0122-2300150

Fax-0122-2300150

E-mail-dfohapur@gmail.com

पत्रांक 1782/14-1, दिनांक, हापुड़,

नवम्बर, 2022.

09/11/2022

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त
मेरठ।

विषय:-

जनपद-अमरोहा में हरितनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड हापुड़ वन प्रभाग में 0.00 है० संरक्षित वन भूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 है० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार की पत्र संख्या-8वी/यू०पी०/04/296/2022/एफ०सी०/705 दिनांक 25.11.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक 1817/11सी दिनांक 28.11.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित सूचना विन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र० सं०	कमियां	अनुपालन आख्या
1	As per the SOI toposheet the demarcation of the forest areas in the km. file is undervalued. The canal side (Ganga Canal) Protected Forest area is demarcated as non forest land, which needs clarification/rectification.	प्रश्नगत प्रस्ताव में उल्लिखित स्थल मध्य गंग नहर संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। (गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।) जिस कारण उक्त स्थल को गैर संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।
2	The Proposed CA land polygon falls under the Hastinapur Wild Life Sanctuary, so comments of Chief Wild Life Warden need to be submitted.	वांछित आख्या अमरोहा वन प्रभाग एवं मुख्य वन संरक्ष, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से अपेक्षित है।
3	Since the forest area proposed for diversion falls within Hastinapur Wild Life Sanctuary, so clearance from Standing Committee National Board of Wild Life is required.	वांछित आख्या अमरोहा वन प्रभाग के स्तर से अपेक्षित है।

अतः उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

(संजय कुमार मल्ल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक 1782/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

October 15, 1954

No. 441/XIV - Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, he is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the lands specified in the Schedule hereto :-

Schedule

Sl. No.	Name of land to be declared as protected forest under Chapter IV of the Indian Forest Act.	District	Canal mileage	Description of boundary
1	2	3	4	5
(1)	Upper Ganga (Main) Canal from mile 0-0 to mile 131-0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions :- (1) Northern Division (2) Meerut Division (3) Bulandshahr Division	Saharanpur Muzaffarnagar. Meerut, Bulandshahr, Aligarh, Etah and Mainpuri.	M. T. Ft. 131-0-9	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars or boundary stones.
(2)	Anupshahr Branch of the Upper Ganga Canal from mile 0-0 to mile 123-1 falling in jurisdiction of the following canal divisions. (1) Meerut Division. (2) Bareilly Division.	Meerut and Bulandshahr.	123-1-0	-do-
(3)	Kangra Stump of the Upper Canal from mile 131-0 to mile 137-7 falling within the jurisdiction of the following canal divisions :- (1) Aligarh Division. (2) Mainpuri Division.	Aligarh, Etawah and Mainpuri	31-7-0	-do-

4. Etawah stump of the Upper Ganga canal from 1 mile 0-0 to mile 212-7 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:—
 (1) Aligarh division.
 (2) Mainpuri Division.
5. Machua Escape from mile 0-0 to mile 3-8 falling within the jurisdiction of Aligarh Division.
6. Eastern Yamuna Canal from mile 6 to mile 129-4 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:—
 1. Upper Eastern Yamuna Canal
 2. Lower Eastern Yamuna Canal
7. Gokulpur Escape of the Eastern Yamuna Canal from mile 0-0 to mile 1-7 in the Lower Eastern Yamuna Canal Division.
8. Silampur Escape of the Eastern Yamuna Canal from mile 0-0 to mile 0-4 in the Lower Eastern Yamuna Canal Division.
9. Agra Canal (main) from mile 0-4 to 100-0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:—
 (1) Upper Agra Canal
 (2) Lower Agra Canal
10. Hindun cut from mile 0-0 to mile 8-3 in the Upper Agra Canal Division.
11. Sikandra Distributary of the Agra Canal from mile 0-0 to mile 14-7 in the Lower Agra Canal Division.
12. Terminal Distributary of the Agra Canal from mile 0-0 to mile 16-2 in the lower Agra Canal Division.
- Aligarh
 Etah and
 Mainpuri
- 28-3-0 The limits of the 1. has been noted as from the pillars of boundary canal.
- 3-2-0 -do-
- Saharanpur, 122-6-0 -do-
 Mujafringha
 Meerut and
 Delhi.
- Delhi 1-7-0 -do-
- Delhi 0-4-0 -do-
- Delhi, Gurgaon, Mathura and Agra. 99-4-0 -do-
- Meerut and Delhi 8-3-0 -do-
- Mathura and Agra 14-7-0 -do-
- Mathura and Agra 16-2-0 -do-

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।
पत्रांक / 14-1, दिनांक, अमरोहा, दिसम्बर, 12 2022,

सेवा में,

विषय :-

संदर्भ :-

महोदय

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
जनपद अमरोहा, हरितनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 केवी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।
भारत सरकार की पत्र संख्या-8वी/यू0पी0/04/296/2022/एफ0सी0/705 दिनांक 25.11.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 1817/11-सी दिनांक 28.11.2022

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा, हरितनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 केवी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। जिस पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 257/11-सी FP/UP/TRANS/148929/2021 दिनांक 21.07.2022 के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी थी।

जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क्रसं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	As per the SOI toposheet the demarcation of the forest areas in the km. File is undervalued The canal side (Ganga Canal) protected Forest area is demarcated as non forest land, which needs clarification/rectification	उक्त आपत्ति पर आख्या प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग द्वारा दी जानी है।
2	The proposed CA land polygon falls under the Hastinapur Wild Life Sanctuary, so comments of Chief wild Life warden need to be submitted.	हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की कार्ययोजना वर्ष 2031-2032 तक स्वीकृत है। CA Scheme is in accordance with Management Plan के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।
3	Since the forest area proposed for diversion falls within Hastinapur Wild Life Sanctuary, so clearance from Standing Committee National Bord of wild Life is required.	वन्यजीव क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र अपनी संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक 1493 / 14-1 उक्त दिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग, हापुड की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- ✓ प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-अमरोहा उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 अमरोहा को उनके पत्र दिनांक 03.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 2249 / 14-1 दिनांक, मेरठ 06 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद-अमरोहा में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड हापुड़ वन प्रभाग में 0.00 हे० संरक्षित वन भूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/148929/2021.

सन्दर्भ:- 1-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पत्र संख्या-8वी/यू०पी०/04/296/2022/एफ०सी०/705, दिनांक 25.11.2022।

2-आपका पत्रांक 1817/11सी दिनांक 28.11.2022।

3-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 1782/14-1, दिनांक 01.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ द्वारा अपने संदर्भित पत्र से निम्न प्रकार किया गया है:-

S.No.	E.D.S	Reply
1	2	3
1	As per the SOI toposheet the demarcation of the forest areas in the km. file is undervalued. The canal side (Ganga Canal) Protected Forest area is demarcated as non forest land, which needs clarification/rectification.	प्रश्नगत प्रस्ताव में उल्लिखित स्थल मध्य गंग नहर संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। (गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।) जिसके कारण उक्त स्थल को गैर संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।
2	The Proposed CA land polygon falls under the Hastinapur Wild Life Sanctuary, so comments of Chief Wild Life Warden need to be submitted.	वांछित आख्या अमरोहा वन प्रभाग एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से अपेक्षित है।
3	Since the forest area porposed for diversion falls within Hastinapur Wild Life Sanctuary, so clearance from Standing Committee National Board of Wild Life is required.	वांछित आख्या अमरोहा वन प्रभाग के स्तर से अपेक्षित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक — / दिनांकित

1-प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।